राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
अपील संख्या: 05 / 2022

1–रमेशचन्द पुत्र छोटेलाल जाति जाटव निवासी बाईपुर तहसील व जिला आगरा
.....अपीलान्ट

1.सरपंच ग्राम पंचायत बसईनवाब
2.राजो पत्नी रमेशचंद 3–बही पुत्र रमेशचंद
4.रामनिवास पुत्र रमेशचंद समस्त जातिगण जाटव निवासी बसईनवाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

अपील खिलाफ नामान्तरण आदेश तारीख 19.08.2023 बाबत नामांतकरण संख्या 2670 वाकेग्राम बसईनवाब ए.तहसील सैपऊ

उपस्थितिः–रामवतार गौड एडवोकेट.....अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 25.01.2023

अपीलान्ट की ओर से अपील न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत गई कि विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 2553 रकवा 0.2655, ख0न0 2561 रकवा 0.2908 ख0न0 2880 रकवा 02655 खाता संख्या 42 ख0न0 2881 रकवा 0.3161 खाता सं0 43 रकवा 2897 रकवा 0.2655 खाता 44 ख0न0 2900 रकवा 0.4552 ख0न0 2902 रकवा 0.3794 ख0नं0 2903 रकवा 0.3541 कुल किता 4 ख0नं0 2895 रकवा 0.0253 ख0नं0 2469 रकवा 0.7208 ख0 नं0 2472 रकवा 0.3541 ख0 न0 3051 रकवा 0.5229 ख0 नं0 4414 रकवा 0.3288 ख0 नं0 4415 रकवा 0.3035 ख0 नं0 6074 / 3050 रकवा 0.2023 कुल किता 4 वाके ग्राम बसईनवाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर जो अपीलान्ट व अन्य 4 खातेदारान के संयुक्त खातेदारी की एवं संयुक्त उपयोग एवं उपभोग की भूमि है जिस पर अपीलान्ट संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारों की पैतृक संपति है। जो विरासतन पूर्वजो से पिता एवं चाचा से प्राप्त हुई है जिसके विरासतन नामांतकरण गैर अपील नं0 2670 दिनांक 24.08.2021 राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत बसईनवाब द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें अपीलान्ट रमेशचंद छोटेलाल नामांतकरण संख्या 2670 रमेशचंद के स्थान पर (1) बडे पुत्र रमेशचंद (2) राजो पत्नी रमेशचंद (3) रामनिवास पुत्र रमेशचंद गलत रूप से अंकित कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 मृतक रमेशचंद पुत्र छोटेलाल निवासी बसईनवाब के वारिसान है जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट के जीवित रहते हुए अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात मुदर्वे नामांतकरण कर दिया गया है 2670 वाके ग्राम बसईनवाब ए. पर बिना जांच पड़ताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के हक के तहत अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज कर पारित किया है। कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पूर्व पुरूष रमेशचंद पुत्र छोटेलाल जाति जाटव निवासी बसईनवास की खातेदारी की आराजीयात राजस्व ग्राम बसईनवाब–बी के खाता संख्या 29 के दर्ज रिकॉर्ड जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ कर अपीलान्ट के जीवित रहते हुए अपीलान्ट की

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

पटवारी की आराजीयात पर अवैध रूप से अपने नाम तहत नामांतकरण आदेश पारित करा लिया है जिसके व्यथित होकर अपीलान्ट निम्नलिखित आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसमे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सिजरा प्रमाण पत्र में अंकित प्रविष्टियों को नजर अंदाज करके रेस्पोडेट संख्या 2 लगायत 4 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से तहत नामांतकरण आदेश पारित किया जिसके गिरदावर द्वारा किसी प्रकार जांच पडताल नही की गई और ना हि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण आदेश प्रारित करने से पूर्व किसी प्रकार कोई जांच की तथा राजस्व कर्मचारियो की मिलीभगत से अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की नियत से की गई है जो कानून की निगाह में शून्य है तथा अपीलाधीन नामांतकरण आदेश काबिल अपास्ति के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विधी द्वारा स्थापित प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना मनमाना रवैया अपना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 एवं हल्का पटवारी तथा गिरादावर द्वारा आपस में साझ कर समस्त कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर अपीलाधीन नामांतकरण आदेश पारित किया है। जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को किसी प्रकार कोई अधिकार हासिल नहीं होते है तथा इसी बिनाय पर अपीलाधीन नामांतकरण आदेश काबिल अपास्ति के है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया है रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील हाजिर नहीं आए है उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई अपील के निस्तारण के पूर्व हम प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम की तरफ से रोशनी डालना चाहेंगे विधि के सुस्थापित सिद्वांत के मुताबिक मूल अपील के निस्तारण से पूर्व मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायोचित है। प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ व्यक्ति है जिनको राजस्व रिकॉर्ड में हो रही अवैध इन्द्राजात की जानकारी नही रही जैसे ही जानकारी हुई तो जानकारी से अंदर अवधि अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहे है। अतः अपील अन्दर मियाद सुमार की जावे हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 पर गहनता से मनन किया तथा मननोपरान्त हम इस निष्कष पर पहुचते है कि मियाद के बिन्दु को अपील की परिस्थितियों को देखते हुए विलम्ब को क्षमा की जाकर अंदर मियाद सुमार की जाती है।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्यों के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश नामांतकरण संख्या 2670 दिनांक 24.08.2021 वाके ग्राम बसईनवाब–ए निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं रमेशचंद पुत्र छोटेलाल के समस्त विधिक वारिसानों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर नियमानुसार पुनः नामांतकरण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ